न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3390–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–7–13 एवं 13–2–14 पारित द्वारा तहसीलदार आगर, प्रकरण क्रमांक 29/अ–3/2012–13 .

.....

कालूराम आत्मज भेरूलाल
निवासी ग्राम मालीखेड़ी तहसील आगर
जिला आगर

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार आगर

..... अनावेदक

.....

श्री अहमद अली शेख, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3|8|16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार आगर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–7–13 एवं 13–2–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कालूराम द्वारा ग्राम मालीखेड़ी स्थित भूमि सर्वे कमांक 527 में से 0.7 आरे का शासकीय पटटेदार बताते हुये भूमि के बटांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 29/अ–3/2012–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान तहसीलदार द्वारा मुख्यतः यह पाते हुये कि प्रश्नाधीन भूमि आगर नगर पालिका परिषद सीमा में है, जिसका पट्टा देने का अधिकार तहसीलदार को नहीं

था और तत्कालीन तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 45/अ–6–अ/2011–12 में दिनांक 7–1–2013 को आदेश पारित कर पटटा दिया गया है, तहसीलदार द्वारा दिनांक 18–7–13 को आदेशिका लिखी जाकर अनुविभागीय अधिकारी से प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई एवं दिनांक 13–2–14 को आदेश पारित कर आवंटन निरस्त करने हेतु प्रकरण अनुविभगीय अधिकारी को अग्रेषित किया गया । तहसीलदार के इन्हीं दोनों आदेशों के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा पट्टा वर्ष 2002–03 में दिया जाना बतलाया जा रहा है, जबकि आवेदक को 1976 में पट्टा प्रदान किया गया है, अतः ऐसे पटटे को निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार दूषित मन्शा से आवेदक का पटटा निरस्त कर भूमि भू–माफियाओं को देना चाहते हैं । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा उसके स्वामित्व की भूमि के बटांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था और पटटा निरस्त करने का कोई भी बिन्दु तहसीलदार के समक्ष विचाराधीन नहीं था, इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा आदेश पारित करने में पूर्णतः अवैधानिक कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा तहसीलदार का आदेश निस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 18–7–2013 एवं दिनांक 13–2–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । दिनांक 18–7–13 को तहसीलदार द्वारा उनके आदेश दिनांक 7–1–13, जिसके द्वारा आवेदक को पटटा दिया गया है, के पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई है एवं दिनांक 13–2–14 को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर पट्टा निरस्त करने संबंधी प्रतिवेदन निरस्त किया गया है । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर, जिला आगर द्वारा प्रकरण कमांक

45/अ-6-अ/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 7-1-13 स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर दिनांक 8-1-2015 को आदेश पारित करते हुये उक्त आदेश निरस्त किया गया है, अतः प्रकरण में कलेक्टर द्वारा कार्यवाही की जाकर अंतिम आदेश पारित कर दिये जाने के कारण यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर